



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1942 (श०)

संख्या-136 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी, 2021 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

#### संकल्प

17 फरवरी, 2021

विषय- झारखण्ड राज्य अंतर्गत चास, राँची एवं मानगो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र में चिन्हितनालों से बहने वाले Sewage रोकथाम हेतु "In situ Remediation/ Treatment" कार्य के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) को मनोनयन के आधार पर DPR तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि 153.25 लाख रु. (एक करोड़ तिरेपन लाख पच्चीस हजार मात्र) का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने हेतु स्वीकृति के संबंध में।

ज्ञापांक:-SPMG/UD&HD/NGT/0A200/Bioremediation/31/2019/578-- चास, मानगो एवं राँची नगर निकायों से लगभग 100 MLD प्रदुषित पानी को गरगा एवं स्वर्ण रेखा नदी में नालियों के माध्यम से प्रवाह को रोकने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) एवं कार्य योजना विशेषज्ञ संस्था से तैयार किया जाना अति आवश्यक है।

दिनांक 02-03-2020 से 07-03-2020 तक राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) नागपुर, भारत द्वारा आठ निकायों रामगढ़, धनबाद, फुसरो, चास, आदित्यपुर, जमशेदपुर, मानगो तथा राँची का क्षेत्र भ्रमण करके feasibility रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में अमृत योजना के अंतर्गत आदित्यपुर नगर निगम हेतु सीवरेज एवं नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है, जो लगभग 56% पूर्ण हो चुका Interception and Diversion technique पर आधारित रामगढ़, धनबाद एवं

फुसरो का डी.पी.आर. तैयार करके राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग), भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है।

2. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) नागपुर, भारत सरकार की प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्था है, जिनके पास in-situ remediation में कार्य करने का अनुभव एवं विभिन्न Technology patent उपलब्ध है। CSIR-NEERI के पास प्रस्तावित परियोजना हेतु विशेषज्ञ अर्हता है, साथ ही पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के अंतर्गत Scientific Water and Waste Water Management Practice से संबंधित चार दशकों से अधिक का कार्यानुभव है। CSIR-NEERI के पास प्रस्तावित परियोजना से संबंधित Highly Skilled Scientific and Technical Manpower एवं सुविधाएँ भी उपलब्ध है। CSIR-NEERI से प्राप्त प्रस्ताव में परियोजना का डी.पी.आर. तैयार करते हुये स्वीकृत कार्य के लिये BOQ तैयार करने एवं Quality Assurance के साथ कार्य का निष्पादनोपरांत अगले पांच वर्ष तक Operation and maintenance का कार्य करना भी शामिल है।
3. कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विशेष तकनीकी प्रकृति के कार्य "100% treatment of Sewage /Drain" अंतर्गत Construction, Installation, Operation से संबंधित कार्यों को जमीनी स्तर पर दक्षतापूर्वक निष्पादित करने हेतु विशेषज्ञ संस्था की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) नागपुर, भारत सरकार की संस्था को मनोनयन के आधार पर कार्य दिये जाने हेतु सहमति प्रदान किया जा सकता है। चास, मानगो एवं रांची नगर निकायों से लगभग 100 MLD प्रदूषित पानी का गरगा एवं स्वर्ण रेखा नदी में नालियों के माध्यम से प्रवाह को रोकने के लिए राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद से कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु परियोजना की लागत निम्नलिखित है-

| क्र.              | निकाय का नाम   | DPR हेतु परामर्शी शुल्क(रु. लाख में) |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1.                | चास नगर निगम   | 33.54                                |
| 2.                | राँची नगर निगम | 59.54                                |
| 3.                | मानगो नगर निगम | 36.79                                |
| कुल लागत राशि     |                | 129.87                               |
| GST 18% सहित      |                | 23.38                                |
| GST सहित कुल लागत |                | 153.25                               |

उपरोक्त प्रस्तावित "In-situ remediation/treatment of Drains" परियोजना हेतु चास, राँची एवं मानगो नगर निकायों के लिए CSIR-NEERI द्वारा उपरोक्त तालिकानुसार परामर्शी शुल्क अधिरोपित करते हुए DPR तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त कार्य के क्रियान्वयन (Implementation) हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) नागपुर, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दो विकल्पों पर प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं, जो निम्नलिखित है-

- विकल्प-1: If JUIDCO or UD&HD Dept. carries out tender and wishes to retain CSIR-NEERI as a Project Management Consultant then the CSIR-NEERI shall **charge 1.25%** of the DPR cost. CSIR-NEERI will supervise; carry out periodic sampling and analysis to ensure that treatment systems are meeting the standards. Assistance to be provided by CSIR-NEERI to JUIDCO or UD&HD Dept. to draft the tender as per standard JUIDCO or UD&HD Dept. format
- विकल्प-2: If the implementation of treatment option to be carried out by CSSR-NEERI including the tender process then the CSIR-NEERI shall **charge 3.5%** of the DPR cost. CSIR-NEERI will supervise; carry out periodic sampling and analysis to ensure that treatment systems are meeting the standards.

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) नागपुर, भारत सरकार द्वारा तैयार डी.पी.आर. का सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत उपरोक्त विकल्पों की समुचित समीक्षा के पश्चात परियोजना के क्रियान्वयन पर पुनः सक्षमस्तर से निर्णय लिया जाएगा।

4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में शहरों की स्वच्छता एवं नागरिकों की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI), नागपुर, भारत सरकार को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत कार्यहित में मनोनयन के आधार पर चास, रांची एवं मानगो नगर निकाय के कच्चे बनाने का कार्य, परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि 153.25 लाख रु. (एक करोड़ तिरेपन लाख पच्चीस हजार मात्र) का भुगतान राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. उपरोक्त वर्णित प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.02.2021 को सम्पन्न बैठक में, मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,  
सरकार के सचिव

-----